2017/00462

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री जगदीश सिंह गहलोत निवासी महिला मंडल स्कूल के सामने कुचीलपुरा, बीकानेर : ब ना म : लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, कोलायत किस्म मुकदमा प्रथम सूचना अपील संख्या 254/17 (अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

: निर्णय :

13.12.17

1. अपीलार्थी हाजिर नहीं। विभागीय प्रतिनिधि की पूर्व पेशी पर बहस सुनी गई।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 28.08.17 में वर्णित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, कोलायत से चाही गई थी। परन्तु सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, कोलायत द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारणं अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. सहायक लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के प्रतिनिध द्वारा पत्रांक 2297–98 दिनांक 24.10.17 में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि उपस्थित पंजीका की प्रमाणित प्रतियां अपीलार्थी को भिजवाई गई है, शेष सूचना प्रशनात्मक होने के कारण सूचना की श्रेणी में नहीं आती है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी, बीकानेर द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट को प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलान्ट की और से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है, ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकाला जाना उचित होगा कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

5. अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

6. निर्णय आज दिनांक 13.12.17 को लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल गुप्ता)
प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर

प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर